

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

श्रीमती यमुना देवी

बनाम

श्रीमती देवी

म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 399/2022

(322/22/542)

रीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

7/06/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती यमुना देवी

पुत्री श्री अशोक जोशी सगाडीलोहार कम्पल

निवासी पत्तणगा चित्तौड़गढ़

तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

आखोडा (प.ह.लेमलपुर) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 1000/7427

741, 999/740

कुल कीता 3 कुल रकबा 1.3700 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम आखोडा (प.ह.लेमलपुर) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 1000/742, 741, 999/740

कुल कीता 3 रकबा 1.3700 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 10000/- रुपये अक्षरे रु. 6 जोर 2000/- प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(शरम सुन्दर विश्वासे)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

